



The Uttar Pradesh Gunda Niyam, 1970
Act 8 of 1971

Keyword(s):
District Magistrate, Gunda

Amendment appended: 1 of 1985

DISCLAIMER: This document is being furnished to you for your information by PRS Legislative Research (PRS). The contents of this document have been obtained from sources PRS believes to be reliable. These contents have not been independently verified, and PRS makes no representation or warranty as to the accuracy, completeness or correctness. In some cases the Principal Act and/or Amendment Act may not be available. Principal Acts may or may not include subsequent amendments. For authoritative text, please contact the relevant state department concerned or refer to the latest government publication or the gazette notification. Any person using this material should take their own professional and legal advice before acting on any information contained in this document. PRS or any persons connected with it do not accept any liability arising from the use of this document. PRS or any persons connected with it shall not be in any way responsible for any loss, damage, or distress to any person on account of any action taken or not taken on the basis of this document.

135-491

L. 11. 12/11/71

cop. 2

विधान सभा
(राजकीय प्रकाशन)
उत्तर प्रदेश, लखनऊ

उत्तर प्रदेश गुण्डा नियंत्रण अधिनियम, 1970

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 8, 1971)

(उत्तर प्रदेश विधान परिषद ने दिनांक 15 दिसम्बर, 1970 ई० तथा उत्तर प्रदेश विधान सभा ने दिनांक 24 दिसम्बर, 1970 ई० की बैठक में स्वीकृत किया ।)

('भारत का संविधान' के अनुच्छेद 201 के अन्तर्गत राष्ट्रपति ने दिनांक 13 जनवरी, 1971 ई० को स्वीकृति प्रदान की तथा उत्तर प्रदेशीय सरकारी असाधारण गजट में दिनांक 18 जनवरी, 1971 ई० को प्रकाशित हुआ ।)

सावजनिक व्यवस्था बनाये रखने के उद्देश्य से गुंडों पर नियंत्रण करने और उनको दबाने के निमित्त विशेष व्यवस्था करने के लिये

अधिनियम

भारत गणतंत्र के इक्कीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:—

1—(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश गुंडा नियंत्रण अधिनियम, 1970 कहलायेगा ।

(2) इसका प्रसार सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में होगा ।

2—जब तक कि प्रसंग द्वारा अन्यथा अपेक्षित न हो, इस अधिनियम में—

(क) "जिला मजिस्ट्रेट" के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा तदर्थ अधिकृत कोई अपर जिला मजिस्ट्रेट भी है;

(ख) "गुंडा" का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है—

(1) जो स्वयं या किसी गिरोह के सदस्य या सरगना के रूप में अभ्यस्ततः भारतीय दंड संहिता के अध्याय 16, अध्याय 17 या अध्याय 22 के अधीन दंडनीय अपराध करता है, या करने का प्रयास करता है, या करने के लिये दुष्प्रेरित करता है, या

संक्षिप्त नाम
तथा प्रसार

परिभाषाएँ

अधिनियम सं०
5, 1971

(उद्देश्य और कारणों के विवरण के लिए कृपया दिनांक 15 मई, 1970 ई० का सरकारी असाधारण गजट देखिये ।)

Price 05 Paise

(2) जो सप्रेशन आफ इम्मारल ट्रैफिक इन वीमेन एण्ड गर्ल्स ऐक्ट, 1956 के अधीन सिद्धदोष ठहराया गया हो, या

(3) जो यू० पी० एक्साइज ऐक्ट, 1910 के अधीन कम से कम तीन बार सिद्धदोष ठहराया गया हो; या

(4) जिसकी सामान्य ख्याति दुःसाहसिक और समुदाय के लिये खतरनाक व्यक्ति होने की हो ।

गुंडों का बहिष्कास
इत्यादि

3—(1) यदि जिला मजिस्ट्रेट को यह प्रतीत हो कि—

(क) कोई व्यक्ति गुण्डा है; और

(ख) (i) जिले या उसके किसी भाग में उसकी गतिविधियां या कार्य व्यक्तियों की जान या सम्पत्ति के लिये संज्ञास, संकट या अपहानि करते हैं या करने के लिये आयोजित हैं, या

(ii) ऐसा विश्वास करने का उचित कारण है कि वह जिले या उसके किसी भाग में, भारतीय दंड संहिता के अध्याय 16, अध्याय 17, या अध्याय 22 के अधीन या दि सप्रेशन आफ इम्मारल ट्रैफिक इन वीमेन एण्ड गर्ल्स ऐक्ट, 1956 के अधीन या यू० पी० एक्साइज ऐक्ट, 1910 के अधीन दंडनीय किसी अपराध को करने में अथवा किसी ऐसे अपराध के दुष्प्रेरण में लगा है या लगने वाला है, और

(ग) साक्षीगण अपनी जान या सम्पत्ति के क्षेम के संबंध में अपनी आशंका के कारण उसके विरुद्ध साक्ष्य देने को तैयार नहीं हैं;

तो जिला मजिस्ट्रेट उस व्यक्ति को लिखित नोटिस द्वारा खंड (क), (ख) और (ग) के संबंध में उसके विरुद्ध सारवान आरोपों की सामान्य प्रकृति की सूचना देगा, और उसको उनके विरुद्ध स्पष्टीकरण देने का समुचित अवसर देगा ।

(2) उस व्यक्ति को, जिसके विरुद्ध इस धारा के अधीन आदेश देने का प्रस्ताव हो, अपनी पसंद के वकील से परामर्श करने और उसके द्वारा प्रतिरक्षित किये जाने का अधिकार होगा तथा, जब तक जिला मजिस्ट्रेट द्वारा अभिलिखित किये जाने वाले कारणों से उनकी राय में उसकी तदर्थ प्रार्थना परेशान या बिलम्ब करने के प्रयोजन से न की गई हो, उसे, यदि वह ऐसा चाहे, स्वयं परीक्षित होने का और ऐसे अन्य किन्हीं साक्षियों को भी जिन्हें वह अपने स्पष्टीकरण के समर्थन में पेश करना चाहे, परीक्षित करने का समुचित अवसर दिया जायेगा ।

(3) तदुपरांत जिला मजिस्ट्रेट अपना यह समाधान करने पर कि उपधारा (1) के खंड (क), (ख) और (ग) में उल्लिखित शर्तें विद्यमान हैं, लिखित आदेश द्वारा—

(क) उसे यह निदेश दे सकता है कि वह ऐसे मार्ग से, यदि कोई निर्दिष्ट किया जाय, और ऐसे समय के भीतर, जैसा आदेश में निर्दिष्ट किया जाये, जिले या, यथास्थिति, उसके भाग से स्वयं बाहर चला जाये और जिले या उसके निर्दिष्ट भाग में तब तक प्रवेश न करे जब तक कि छः माह से अनधिक ऐसी अवधि जो आदेश में निर्दिष्ट की जाय, समाप्त न हो जाये ;

(ख) (1) ऐसे व्यक्ति से, ऐसी रीति से, ऐसे समय पर और ऐसे प्राधिकारी या व्यक्ति को, जो आदेश में निर्दिष्ट किया जाये, अपनी गतिविधि की सूचना देने, या स्वयं उपस्थित होने, अथवा दोनों कार्य करने की तब तक के लिये अपेक्षा कर सकता है;

(2) उसके द्वारा किसी ऐसी वस्तु को, जो आदेश में निर्दिष्ट की जाय, कब्जे में रखने या उसको प्रयोग करने से तब तक के लिये प्रतिबन्धित या निर्बन्धित करने का;

(3) उसके द्वारा अन्यथा ऐसी रीति से, जैसी आदेश में निर्दिष्ट की जाय, आचरण करने का तब तक के लिये निदेश दे सकता है—

जब तक कि छः माह से अनधिक ऐसी अवधि जो आदेश में निर्दिष्ट की जाय, समाप्त न हो जाये ।

अस्थायी अवधि के लिये वापस लौटने की अनुज्ञा

4—जिला मजिस्ट्रेट आदेश द्वारा किसी ऐसे व्यक्ति को, जिसके संबंध में धारा 3 की उपधारा (3) के खंड (क) के अधीन आदेश दिया गया हो, अस्थायी अवधि के लिये उस क्षेत्र में, जहां से उसे हटने का निदेश दिया गया था, ऐसी शर्तों पर, जिन्हें जिला मजिस्ट्रेट निर्दिष्ट करे, प्रवेश करने या वापस आने की अनुज्ञा दे सकता है, और किसी भी समय ऐसी किसी अनुज्ञा का निरसन कर सकता है ।

5—जिला मजिस्ट्रेट सम्बद्ध व्यक्ति को तदर्थ अभ्यावेदन करने का अवसर, जब तक कि ऐसे कारणों से जो अभिलिखित किये जायेंगे उनका यह समाधान न हो जाय कि ऐसा करना अव्यवहारिक होगा, देने के पश्चात् धारा 3 के अधीन दिये गये आदेश में निर्दिष्ट अवधि को, सामान्य जनता के हित में समय-समय पर बढ़ा सकता है, किन्तु इस प्रकार बढ़ायी गयी अवधि किसी भी दशा में कुल मिलाकर दो वर्ष से अधिक न होगी।

आदेश की अवधि में बढ़ोत्तरी

6—(1) धारा 3, धारा 4 या धारा 5 के अधीन दिये गये किसी आदेश से क्षुब्ध कोई व्यक्ति ऐसे आदेश के दिनांक से पंद्रह दिन के भीतर आयुक्त के पास अपील कर सकता है।

अपील

(2) अपीलार्थी या उसके वकील को किसी ऐसे अभिलेख का जो धारा 3 के अधीन हुई जांच यदि कोई हुई हो, के समय उसे प्रकट न किया गया हो, निरीक्षण करने या उसके संबंध में सूचना दिये जाने का अधिकार न होगा।

(3) आयुक्त आदेश की, परिष्कार सहित अथवा रहित, पुष्टि कर सकता है या उसे रद्द कर सकता है, और अपील का निस्तारण होने तक आदेश के प्रवर्तन को, ऐसी शर्तों पर, यदि कोई हों, जिन्हें वह उचित समझे, स्थगित कर सकता है।

7—(1) जिला मजिस्ट्रेट या आयुक्त—

कतिपय प्रयोजनों के लिये मुचलके

(क) किसी ऐसे व्यक्ति, जिसके विरुद्ध धारा 3 के अधीन आदेश देने का प्रस्ताव हो, या आदेश दिया गया हो किन्तु ऐसे आदेश का प्रवर्तन धारा 6 के अधीन स्थगित कर दिया गया हो, की उपस्थिति सुनिश्चित करने, या

(ख) धारा 3, धारा 4, धारा 5 या धारा 6 के अधीन किसी व्यक्ति के संबंध में दिये गये आदेश में निर्दिष्ट किसी निदेश, अपेक्षा, प्रतिषेध, निबंधन या शर्त का यथोचित अनुपालन सुनिश्चित करने; के प्रयोजनार्थ, किसी ऐसे व्यक्ति से, प्रतिभूतों सहित या रहित, बन्धपत्र निष्पादित करने की अपेक्षा कर सकता है और दंड प्रक्रिया संहिता, 1898 के उपबन्ध ऐसे बन्धपत्र के संबंध में, आवश्यक परिवर्तनों के साथ, उसी प्रकार लागू होंगे, जिस प्रकार वह उक्त संहिता के अधीन निष्पादित या निष्पादित किये जाने के लिये अपेक्षित बन्धपत्र के संबंध में लागू होते हैं।

(2) विशेषतः और उपरोक्त उपबन्धों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना—

(क) जिला मजिस्ट्रेट धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन किसी व्यक्ति को नोटिस जारी करते समय उसकी गिरफ्तारी के लिये वारन्ट, जिसमें उक्त संहिता की धारा 76 के अनुसार पृष्ठांकित निदेश दिया गया हो, जारी कर सकता है, और उक्त संहिता की धारायें 75 से 92 तक के उपबन्ध जहां तक हो सके, ऐसे वारन्ट के संबंध में उसी प्रकार लागू होंगे मानो जिला मजिस्ट्रेट न्यायालय हो,

(ख) यदि कोई व्यक्ति जिससे किसी निदेश, अपेक्षा, प्रतिषेध, निबंधन या शर्त के अनुपालन के लिये बन्ध-पत्र निष्पादित करने की अपेक्षा की गई हो, ऐसा करने में चूक करता है तो उसे उस कालावधि के लिये जिसके लिये उक्त निदेश, अपेक्षा, प्रतिषेध, निबंधन या शर्त की प्रवृत्ति हो या उस कालावधि के भीतर जब तक कि वह, प्रतिभूतों सहित या रहित, यथास्थिति, आदेश के अनुसार बन्धपत्र निष्पादित नहीं करता, कारागार को सुपुर्द किया जायगा अथवा यदि वह पहले से ही कारागार में है तो वह कारागार में निरुद्ध रखा जायगा, व उक्त संहिता की धारायें 120 से 122 तक व 123-क, 124, 126 व 126-क के उपबन्ध आवश्यक परिवर्तनों के साथ उस पर लागू होंगे मानो जिला मजिस्ट्रेट या आयुक्त न्यायालय हों,

(ग) उक्त संहिता की धारायें 513, 514 व 514-क, इस धारा के अधीन निष्पादित सभी बन्ध-पत्रों के संबंध में आवश्यक परिवर्तनों के साथ उसी प्रकार लागू होंगी मानो जिला मजिस्ट्रेट या आयुक्त न्यायालय हों।

8—जिला मजिस्ट्रेट या आयुक्त अपना यह समाधान करने के प्रयोजनार्थ कि धारा 3 या धारा 5 के अधीन आदेश दिये जाने के लिये आवश्यक शर्तें विद्यमान हैं या नहीं, किसी ऐसे साक्ष्य पर विचार कर सकता है जिसे वह प्रमाणक मूल्य का समझे, तथा भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 के उपबन्ध लागू नहीं होंगे।

साक्ष्य की प्रकृति

9—जिला मजिस्ट्रेट या आयुक्त किसी भी समय धारा 3 के अधीन दिये गये आदेश का, चाहे उस आदेश की धारा 6 के अधीन पर पुष्टि की गयी हो या नहीं, निरसन कर सकता है।

आदेश का निरसन

धारा 3 से 6 के अधीन आदेशों का उल्लंघन करने के लिये दंड

10—जो व्यक्ति धारा 3, धारा 4, धारा 5 या धारा 6 के अधीन दिये गये आदेशों का उल्लंघन करे, वह कठिन कारावास से, जो तीन वर्ष तक का हो सकता है किन्तु 6 माह से कम नहीं होगा, दंडित किया जायेगा और जुर्माने का भी भागी होगा ।

बहिष्कासित गुन्डे द्वारा आदेश का उल्लंघन करते हुये पुनः प्रवेश आदि पर उसका बल प्रयोग द्वारा हटाया जाना

11—(1) यदि धारा 3, धारा 4, धारा 5 या धारा 6 के अधीन किसी व्यक्ति के विरुद्ध आदेश दिये जाने के पश्चात् ऐसा व्यक्ति—

(क) आदेश द्वारा दिये गये निदेश के अनुसार जिले या उसके भाग से अपने को हटाने में चूक करता है; या

(ख) उक्त आदेश के प्रवर्तन की अवधि में, उस क्षेत्र में, जहाँ से उसे हटने का आदेश दिया गया था, पुनः प्रवेश करता है ;

तो जिला मजिस्ट्रेट उसे गिरफ्तार करा सकता है और पुलिस की अभिरक्षा में उक्त आदेश में निर्दिष्ट क्षेत्र के बाहर किसी ऐसे स्थान के लिये जैसा वह निदेश दे हटवा सकता है ।

(2) कोई पुलिस अधिकारी किसी ऐसे व्यक्ति को, जिसके प्रति उपधारा (1) में निर्दिष्ट कोई कार्य या चूक करने के लिये युक्तियुक्त संदेह हो, बिना वारंट गिरफ्तार कर सकता है, और इस प्रकार गिरफ्तार किये गये व्यक्ति को तुरन्त निकटतम मजिस्ट्रेट के पास अग्रसारित करेगा जो उसे जिला मजिस्ट्रेट के पास अग्रसारित करायेगा जो तदुपरान्त उस व्यक्ति को उक्त आदेश में निर्दिष्ट क्षेत्र के बाहर ऐसे स्थान के लिये, जैसा वह निदेश दे, पुलिस अभिरक्षा में हटवा सकेगा ।

(3) इस धारा के उपबन्ध धारा 10 के उपबन्धों के अतिरिक्त हैं और उनके प्रभाव को कम नहीं करते ।

अपराध का संज्ञान

12—कोई मजिस्ट्रेट धारा 10 के अधीन दंडनीय किसी अपराध का सिवाय—

(क) ऐसे तथ्यों की जिनसे ऐसा अपराध गठित होता हो, किसी पुलिस आफिसर द्वारा की गई लिखित रिपोर्ट पर; या

(ख) पुलिस आफिसर से भिन्न किसी व्यक्ति से प्राप्त इत्तिला पर या अपने इस ज्ञान या संदेह पर कि ऐसा अपराध किया गया है;

संज्ञान नहीं करेगा ।

आदेशों के संबंध में अपवाद

13—इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन प्रदत्त किसी शक्ति का प्रयोग करके दिये गये किसी आदेश पर किसी न्यायालय में कोई आपत्ति नहीं की जायेगी ।

अधिनियम के अधीन किये गये कार्य के लिये संरक्षण

14—(1) किसी व्यक्ति के विरुद्ध किसी ऐसे कार्य के लिये, जो इस अधिनियम या तदधीन दिये गये किसी आदेश के अनुसरण में सद्भावना से किया गया हो, या किये जाने के लिये अभिप्रेत हो कोई वाद, अभियोग या अन्य विविध कार्यवाही नहीं की जा सकेगी ।

(2) राज्य सरकार के विरुद्ध किसी ऐसी बात से, जो इस अधिनियम या तदधीन दिये गये किसी आदेश के अनुसरण में सद्भावना से की गयी हो या किये जाने के लिये अभिप्रेत हो, हुयी या सम्भावित क्षति के लिये कोई वाद या अन्य विधिक कार्यवाही नहीं की जा सकेगी ।

नियम बनाने का अधिकार

15—(1) राज्य सरकार, गजट में अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिये नियम बना सकती है ।

(2) इस अधिनियम के अधीन बनाये गये सभी नियम, बनाये जाने के पश्चात् यथाशक्य शीघ्र, राज्य विधान मंडल के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब उसका सत्र हो रहा हो, उसके एक सत्र या एकाधिक अनुक्रमिक सत्रों में कम से कम कुल चौदह दिन की अवधि पर्यन्त रखे जायेंगे, और जब तक कि कोई वाद का दिनांक निर्धारित न किया जाय, गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से, ऐसे परिष्कारों या अभिशून्यनों के अधीन रहते हुए, प्रभावी होंगे, जो विधान मंडल के दोनों सदन उक्त अवधि में करने के लिये सहमत हों किन्तु इस प्रकार का कोई परिष्कार या अभिशून्यन [सम्बद्ध नियमों के] उनके अधीन पहले की गयी किसी बात की वैधता पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न डालेगा ।

निरसन

16—उत्तर प्रदेश गुण्डा निबंधन अध्यादेश, 1970 एतद्वारा निरस्त किया जाता है ।

उ०प्र०
अध्या०
देश
सं०
15,
1970

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Goonda Niyamtran (Sanshodhan) Adhiniyam, 1983 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 1 of 1985) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the President on December 29, 1984:

**THE UTTAR PRADESH CONTROL OF GOONDAS (AMENDMENT)
ACT, 1983**

[U. P. ACT NO. 1 OF 1985]

(As passed by the Uttar Pradesh Legislature)

AN
ACT

to amend the Uttar Pradesh Control of Goondas Act, 1970

IT IS HEREBY enacted in the Thirty-fourth Year of the Republic of India as follows:

1. This Act may be called the Uttar Pradesh Control of Goondas (Amendment) Act, 1983.

Short title

2. In section 2 of the Uttar Pradesh Control of Goondas Act, 1970, hereinafter referred to as the principal Act, for clause (b), the following clause shall be substituted, namely:—

Amendment of
section 2 of U.P.
Act 8 of 1971

“(b) ‘Goonda’ means a person who—

(i) either by himself or as a member or leader of a gang, habitually commits or attempts to commit, or abets the commission of an offence punishable under section 153 or section 153-B or section 294 of the Indian Penal Code or Chapter XV, Chapter XVI, Chapter XVII or Chapter XXII of the said Code; or

(ii) has been convicted for an offence punishable under the Suppression of Immoral Traffic in Women and Girls Act, 1956; or

(iii) has been convicted not less than thrice for an offence punishable under the U. P. Excise Act, 1910 or the Public Gambling Act, 1867 or section 25, section 27 or section 29 of the Arms Act, 1959; or

(iv) is generally reputed to be a person who is desperate and dangerous to the community; or

(v) has been habitually passing indecent remarks or teasing women or girls; or

(vi) is a tout;

Explanation—'Tout' means a person who—

(a) accepts or obtains, or agrees to accept or attempts to obtain from any person for himself or for any other person, any gratification whatever as a motive or reward for inducing, by corrupt or illegal means any public servant or member of Government, Parliament or of State Legislature, to do or forbear to do anything or to show favour or disfavour to any person or to render or attempt to render any service or disservice to any person, with the Central or State Government, Parliament or State Legislature, any local authority, corporation, Government Company or public servant; or

(b) procures, in consideration of any remuneration moving from any legal practitioner interested in any legal business, or proposes to any legal practitioner or to any person interested in legal business to procure, in consideration of any remuneration moving from either of them, the employment of legal practitioner in such business; or

(c) for the purposes mentioned in explanation (a) or (b), frequents the precincts of civil, criminal or revenue courts, revenue or other offices, residential colonies or residences or vicinity of the aforesaid or railway or bus stations, landing stages, lodging places or other places of public resort; or

(vii) is a house grabber.

Explanation—'House-grabber' means a person who takes or attempts to take or aids or abets in taking unauthorised possession or having lawfully entered unlawfully remains in possession, of a building including land, garden, garages or out-houses appurtenant to a building."

Amendment of
section 3

3. In section 3 of the principal Act,—

(a) in sub-section (1), in clause (b), for sub-clause (ii) the following sub-clause shall be substituted, namely:—

"(ii) that there are reasonable grounds for believing that he is engaged or about to engage, in the district or any part thereof, in the commission of an offence referred to in sub-clauses (i) to (iii) of clause (b) of section 2, or in the abetment of any such offence; and"

(b) in sub-section 3, for clause (a), the following clause shall be substituted, namely:—

"(a) direct him to remove himself outside the area within the limits of his local jurisdiction or such area and any district or districts or any part thereof, contiguous thereto, by such route, if any, and within such time as may be specified in the order and to desist from entering the said area or the area and such contiguous district or districts or part thereof, as the case may be from which he was directed to remove himself until the expiry of such period not exceeding six months as may be specified in the said order;"

4. In section 7 of the principal Act,—

Amendment of
section 7

(a) in sub-section (1) for the words and figures "Code of Criminal Procedure, 1898", the words and figures "Code of Criminal Procedure, 1973" shall be *substituted*;

(b) in sub-section (2),—

(i) in clause (a) for the word and figures "section 76" the word and figures "section 71", and for the words and figures "sections 75 to 92", the words and figures "sections 70 to 85 and 87 to 89" shall be *substituted*;

(ii) in clause (b), for the words and figures "sections 120 to 122, 123-A, 124, 126 and 126-A" the words and figures "sections 119 to 121, 123 and 124" shall be *substituted*;

(iii) in clause (c), for the words and figures "sections 513, 514 and 514-A" the words and figures "sections 445 to 447" shall be *substituted*.

By order,
B. L. LOOMBA,
Sachiv.